न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, अयोध्या।

पीठासीनः प्रेम प्रकाश..... एच०जे०एस०, UP 6506

[जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 1133/2026]

[C.N.R. No. UPFZ010011972026]

[कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–444/2026]

सरवन निषाद आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र विन्द्रा निषाद, निवासी कनीगंज बरहटा, थाना–कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या। .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

.....

एस०टी० नं०–28/2026
अपराध संख्या–619/2025
अंतर्गत धारा–61(2)(ए), 109(1), 191(2), 191(3), 190 बी.एन.एस.
थाना–कोतवाली अयोध्या,
जिला–अयोध्या (फैजाबाद)

दिनाँक–13.03.2026:

1. उक्त जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई कर विधितया निस्तारण हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा इस न्यायालय को दिनाँक 12.03.2026 को स्थानान्तरित किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त **सरवन निषाद** की तरफ से नियुक्त डिप्टी चीफ/न्यायरक्षक एल०ए०डी०सी०एस० अयोध्या व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी की तरफ से नियुक्त प्राइवेट विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संबंधित थाने की आख्या तथा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम से आहूत मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

2. अभियुक्त ने अपने प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र में यह उल्लिखित किया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उपरोक्त अपराध में गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी फँसाया गया है। प्रार्थी का श्रीमान् जी के न्यायालय पर प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में न तो दिया गया है न ही निर्णीत हुआ है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी का कोई पैरोकार मुकदमा नहीं है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रार्थी के मुकदमे की पैरवी लीगल एड डिफेन्स कॉउन्सिल (न्याय रक्षक) के माध्यम से की जा रही है। कथित घटना की प्राथमिकी एक दिन विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी नही है। कथित घटना के समय प्रार्थी घटनास्थल पर मौजूद नही था। घटना की तिथि दिनाँक 02.10.2025 को समय 20.40 बजे की है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त दिनाँक 30.09.2025 से ही दूसरे केस में जेल में निरुद्ध है।

Digitally signed by PREM PRAKASH
Date: 2026.03.13 16:35:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त को जेल से तलब कराकर दिनांक–09.10.2024 को मा० न्यायालय के आदेश से प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक–09.10.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में लेने से पूर्व उसके विरुद्ध किसी चक्षुदर्शी गवाह का बयान या कोई अन्य सारवान साक्ष्य विवेचक द्वारा एकत्र नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से या उसकी निशानदेही से कोई भौतिक वस्तु, साक्ष्य के रुप में, बरामद नहीं की गई है मात्र धारा–61(2)(a) बी०एन०एस०, (भा०द०वि० की धारा–120 बी) के आधार पर घटना में शामिल किया गया है। चोटहिल आलोक कुमार सिंह को जान से मारने की योजना किन–किन लोगों द्वारा बनायी गयी, किस तिथि को व कब बनाई गयी तथा कहां बनायी गयी, किसने यह योजना बनाते हुए देखा या सुना यह सब तथ्य विवेचक द्वारा येन–केन प्रकारेण अपनी मनगढ़ंत कहानी द्वारा सुनी सुनाई साक्ष्य पर स्पष्ट करने का असफल प्रयास किया गया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। कथित रुप से चोटहिल के शरीर पर पायी गयी चोटें व संकलित साक्ष्य विवेचना से प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध की कोई धारा नही बनती है। प्रार्थी दिनांक 09.10.2025 से प्रस्तुत प्रकरण में जिला/ मण्डल कारागार अयोध्या में निरुद्ध है। किसी भी आपराधिक प्रकरण में सजा अधिरोपित करने से पूर्व बिना किसी विधिक औचित्य के अभियुक्त को दीर्घ अवधि तक जेल में निरुद्ध रखना उसके संवैधानिक मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। प्रार्थी जनपद अयोध्या का निवासी है जिस कारण उसके फरार अथवा रुपोष हो जाने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के पश्चात् अभियोजन साक्षियों को डरायेगा–धमकायेगा नही और मामले के परीक्षण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। प्रार्थी श्रीमान् जी की संतुष्टि के अनुरुप अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किये जाने की कृपा की जाय।

3. संबंधित थाना कोतवाली अयोध्या की आख्या इस आशय की प्राप्त है कि आवेदक / अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पूर्व में उपरोक्त घटना कारित करने की योजना तैयार किया। उसके बाद अभियुक्त दूसरे मामले में जेल चला गया। उसी पूर्व में बनायी हुयी योजना के तहत अन्य सहअभियुक्तगणों द्वारा उपरोक्त घटना को तय दिन दुर्गा विसर्जन को घटना को अंजाम दिया। तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाह, बयान मजरुब, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, बयान चिकित्सक, बरामदगी असलहा व कारतूस एवं बयान अभियुक्तगण आदि अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त आवेदक के विरुद्ध घटना के षड़यंत्र रचने का अपराध पाये जाने पर धारा 61(2)(A), 109(1), 191(2), 191(3), 190 बी०एन०एस० में बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या–612/2025 दिनाँक 22.12.2025 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। आवेदक के भाई के शरीर में गोलियां लगी थी। वादी के भाई की स्थिति गम्भीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल अयोध्या से मेदान्ता लखनऊ रेफर किया गया। मजरूब के शरीर में फंसी 02 बुलेट निकाली गयी। अभियुक्त का अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

1–मु०अ०स० 630/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना को० अयोध्या जनपद अयोध्या

2– मु०अ०सं० 619/25 धारा 61(2)(A), 109(1), 191(2), 191(3), 190 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना को० अयोध्या जनपद अयोध्या। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है अतः जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध है।

4. राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध किया गया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर रामघाट चौराहे पर मूर्ति विसर्जन के दौरान आपराधिक षड़यन्त्र कर एकराय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी के भाई पर जान से मारने की नीयत से हत्या करने के प्रयत्न, घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा आदि का आरोप है। घटना में प्रयुक्त असलहा में प्रयोग किया गया कारतूस अभियुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जाना बताया गया है। वादी के भाई चोटहिल आलोक सिंह को पार्षद चुनाव न लड़ने के संबंध में घटना के पूर्व में दी गयी धमकी अभियुक्त द्वारा दिया जाना कहा गया है जैसा कि केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है। अभियोजन के अनुसार अन्य सहअभियुक्तगण पवन कुमार यादव, सूरज निषाद, धर्मवीर पाण्डेय, मोहित पाण्डेय, अताउल्लाह शाह आदि की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का आधार पर्याप्त नही है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने योग्य नही है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सरवन निषाद** की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1133/2026, मु०अ०सं०–619/2025, अंतर्गत धारा– 61(2)(ए), 109(1), 191(2), 191(3), 190 बी.एन.एस, थाना–कोतवाली अयोध्या, जिला–अयोध्या (फैजाबाद) के अभियोग में निरस्त किया जाता है।

दिनाँक:–13.03.2026

(प्रेम प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 6506